

न्यायालय असिस्टेन्ट कलकटर प्रथम श्रेणी पोखरी।

वाद संख्या—

02/2008-09

अन्तर्गत धारा—143 एल0आर0 एकट

वादी—

सचिव हिमालयन पीपुल्स फाउण्डेशन, अमर सदन, मन्दिर मार्ग गोपेश्वर।

प्रतिवादी—

1— श्री तुला राम पुत्र श्री पाती राम, 2— दया राम पुत्र श्री पाती राम, 3— राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री माया राम, 4— सतीश चन्द्र पुत्र श्री माया राम, 5— दीपक पुत्र श्री माया राम, 6— मुरलीधर पुत्र श्री मुकुन्द राम, 7— विशेश्वर दत्त पुत्र श्री मुकुन्द राम, 8— गंगाधर पुत्र श्री मुकुन्द राम, 9— महिधर पुत्र श्री मुकुन्द राम, 10— राम चन्द्र पुत्र श्री मुकुन्द राम, 11— चण्डी प्रसाद पुत्र श्री विशेश्वर दत्त, 12— चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री विशेश्वर दत्त, 13— सुदामा प्रसाद पुत्र श्री मन्थु राम, 14— पीताम्बर दत्त पुत्र श्री मन्थु राम, 15— मनोहरी पुत्र श्री अन्ती राम, 16— नवीन पुत्र श्री किशोरी, 17— प्रवीन पुत्र श्री किशोरी, 18— अरतिन्द्र पुत्र श्री किशोरी, 19— गिरधारी प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, 20— श्रीधर प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, 21— दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री ललिता प्रसाद, 22— द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री ललिता प्रसाद, 23— झापुली देवी पत्नी श्री ललिता प्रसाद, 24— उमेश चन्द्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद, 25— रुकमणी देवी पत्नी श्री शम्भू प्रसाद, 26— सुभाष चन्द्र पुत्र श्री शम्भू प्रसाद, 27— दिनेश चन्द्र पुत्र श्री देवी प्रसाद, 28— गिरीश चन्द्र पुत्र श्री देवी प्रसाद, 29— गोदाम्बरी देवी पत्नी श्री देवी प्रसाद, 30— विजय राम पुत्र श्री भुद्रमणी, 31— गंगा राम पुत्र श्री भुद्रमणी, 32— मुकुन्द राम पुत्र श्री खन्तडू, 33— मोला राम पुत्र श्री राधाकृष्ण, 34— भोला राम पुत्र श्री राधाकृष्ण, 35— रोश्वरी देवी पत्नी श्री राधाकृष्ण, ग्राम— जिलासू पटवारी क्षेत्र— गिरसा, तहसील— पोखरी, जिला— चमोली। 36— उत्तराखण्ड सरकार जरिये— कलकटर चमोली।

### निर्णय

प्रस्तुत वाद ~~मानि~~ हिमालयन पीपुल्स फाउण्डेशन अमर सदन मन्दिर मार्ग गोपेश्वर, जिला चमोली, के सचिव श्री डॉ अनुसूया प्रसाद मैखुरी के प्रार्थना पत्र दिनांक 27-01-2009 के कम में राजस्व निरीक्षक पोखरी, की जांच आख्या दिनांक 02-02-09 के आधार पर संरित्त किया गया। राजस्व निरीक्षक ने अपनी आख्या से अवगत कराया है, कि ग्राम—जिलासू प०व० गिरसा, की खतौनी खाता सं०-१४ के खसरा न०-९७७ रकवा 0.123 है० खसरा न०-९७८, रकवा 0.038 है० खसरा न०-९८०, रकवा 0.004, खसरा न०-९८१, रकवा 0.009, खसरा न०-९८२, रकवा 0.006, खसरा न०-९८३, रकवा 0.021, कुल रकवा, 0.201 है० एवं खतौनी खाता सं०-३२ के खसरा न०-९८४ रकवा 0.038 है०, खसरा न०-९९४, रकवा 0.010 है०, खसरा न०-९९५, रकवा 0.023 है०, खसरा न०-९९६, रकवा 0.028 है०, खसरा न०-९९७, रकवा 0.023 है०, खसरा न०-९९८, रकवा 0.010 है०, खसरा न०-९९९, रकवा 0.010 है०, एवं खसरा न०-१०००, रकवा 0.098 है०, कुल रकवा, 0.240 है० सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.441 है० भूमि हिमालयन पीपुल्स फाउण्डेशन, नामक संस्था द्वारा बी०ए८० कॉलेज बनाने के कारण यह भूमि वर्तमान समय में कृषि योग्य नहीं रह गयी है। राजस्व निरीक्षक की आख्या प्राप्त होने एवं तहसीलदार पोखरी, की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त मामले को दर्ज कर सम्बन्धित पक्षों एवं भूमिकर्ताओं को नोटिस इस आशय के साथ जारी किये गये कि उक्त भूमि को 143 एल०आर० एकट के तहत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु किसी को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नोटिस सम्बन्धित पक्षों एवं भूमिकर्ताओं पर तामील किया गया, नियत समय तक किसी भी पक्ष एवं भूमिधर द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। मेरे द्वारा रा० नि० पोखरी, की प्रस्तुत एवं तहसीलदार पोखरी, की संस्तुत/परीक्षित आख्या, ग्राम जिलासू की खतौनी खाता सं०-१४ एवं ३२ की नकल खतौनी, नकल खसरा, का गहनतापूर्वक अवलोकन, अध्ययन एवं अनुशीलन





किया गया, उक्त से ऐसा प्रतीत होता है, कि ग्राम-जिलासू रीमान्तर्गत हिमालयन पीपुल्स फाउण्डेशन द्वारा वी0एड0 कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है एवं भूमि वंजर होने के कारण ग्राम-जिलासू की खतोनी खाता सं0-14 एवं 32 राजारव निरीक्षक पोखरी द्वारा संस्तुत उक्त खरारा नम्बर वी0एड0 कॉलेज के निर्माणाधीन होने व भूमि वंजर होने से कृषि योग्य नहीं रह गयी है, जिस कारण खतोनी खाता के उक्त खसरा नम्बरान अकृपिक घोषित कियं जाने योग्य है।

### आदेश

अतः ग्राम जिलासू के खतोनी खाता सं0-14 के खसरा नं0-977 रकवा 0.123 है0 खसरा नं0-978, रकवा 0.038 है0 खसरा नं0-980, रकवा 0.004, खसरा नं0-981, रकवा 0.009, खसरा नं0-982, रकवा 0.006, खसरा नं0-983, रकवा 0.021, कुल रकवा, 0.201 है0 एवं खतोनी खाता सं0-32 के खसरा नं0-984 रकवा 0.038 है0, खसरा नं0-994, रकवा 0.010 है0, खसरा नं0-995, रकवा 0.023 है0, खसरा नं0-996, रकवा 0.028 है0, खसरा नं0-997, रकवा 0.023 है0, खसरा नं0-998, रकवा 0.010 है0, खसरा नं0-999, रकवा 0.010 है0, एवं खसरा नं0-1000, रकवा 0.098 है0, कुल रकवा, 0.240 है0 सम्पूर्ण क्षेत्रफल 0.441 है0 को हिमालयन पीपुल्स फाउण्डेशन के वी0एड0 कॉलेज निर्माणाधीन होने के कारण अकृपिक घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद हेतु जारी किया जाय, बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित की जाय।

दि0-13-02-09

*[Signature]*  
असिस्टेन्ट कलर्कटर,  
प्रथम श्रेणी,  
पोखरी।

12/2/09

उक्त निर्णयादेश आज दि0-13-02-2009 को मेरे हरताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दि0-13-02-09

*[Signature]*  
असिस्टेन्ट कलर्कटर  
प्रथम श्रेणी  
पोखरी।

13/2/09

बचना पढ़ देने को 12-2-10  
कुल जारी करने को 12-2-10  
वादाव कोट्ट फोटो टिकट 13.0.2.5. जीसरी Rs. 6.50  
कम्ब 200 (२००) २०० कम्ब  
कुल कर्ता  
बुलना कर्ता

सूच्य प्रतिलिपि

*[Signature]*

दीर्घ  
वासावद दप विदा राजिका  
गोखरी

